पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 07(आ०)/आ०प्र० दिनांक 23.05.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0001–**निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड–एन० 2245021010001** मद में कुल 40.00 (चालीस) लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसमें से 27.00 लाख रूपये का उपावंटन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 861/आ०प्र० दिनांक 22.08.2012 द्वारा सात अंचलों (अथमलगोला, बख्तियारपुर, फतुहां, पटना सदर, पुनपुन, दानापुर एवं मनेर) के बीच किया गया तथा इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 965/आ०प्र० दिनांक 13.09. 2012 से अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ को 2.24 (दो लाख चौबीस हजार) रूपये उपावंटित किये गये हैं। इस तरह कुल 29.24 (उनतीस लाख चौबीस हजार) रूपये उपावंटनोपरान्त जिले में अवशेष सुरक्षित राशि 10.76 लाख रूपये में से अंचल अधिकारी, दानापुर के पत्रांक 2325/आ०प्र० दिनांक 08.10.2012 एवं अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के पत्रांक 216 दिनांक 12.02.2013 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण उपावंटन करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(राशि :– लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	योग
01.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	1.00	0.00	1.00
02.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	5.00	0.00	5.00
03.	अंचल अधिकारी, फतुहा	1.00	0.00	1.00
04.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	5.00	0.00	5.00
05.	अंचल अधिकारी, पुनपुन	5.00	0.00	5.00
06.	अंचल अधिकारी, दानापुर	5.00	9.00	14.00
07.	अंचल अधिकारी, मनेर	5.00	0.00	5.00
08.	अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ	2.24	0.07	2.31
	कुल उपावंटित राशि	**29.24**	**9.07**	**38.31**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			**1.69**
	कुल योग :–			**40.00**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0001–**निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010001** मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन इस निदेश के साथ दिया जा रहा है कि उपावंटित राशि का व्यय नियमानुसार प्रभावित परिवारों के बीच अद्यतन विभागीय मानदर के आलोक में किया जायेगा।

Awantan

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-03/2013 154 /आ०प्र०, दिनांक 16/02/2013

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ/अंचल अधिकारी, दानापुर की सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।